न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश,कोर्ट सं014, वाराणसी।

मूलवाद सं0– 43/2016 amended vide order dated 6/10/17

सिन्नी फाउण्डेशन वगैरह बनाम मेससर्स डायनेस्टी इंण्डिया एवं अन्य

<u>03.02.2017</u>

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी।

<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र 6ग:</u>

प्रार्थनापत्र 6ग समर्थित शपथपत्र 7ग वादीगण की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि स्व0 जगमोहन दास साह के चार पुत्र अजनाम स्व0 राजकुमार साह, स्व0 श्रवण कुमार साह, स्व0 विजय कुमार साह व श्री चन्द्र कुमार साह थे जिनमें एक पुत्र स्व0 राजकुमार साह ने सिन्नी नाम से अपना अलग व्यापार सन् 1950 में प्रारम्भ किया। उक्त व्यपार दिनांक 14.01.1966 ई0 से फर्म राजकुमार साह एण्ड सन्स के नाम से होने लगा। सन् 2000 में इस फर्म " मेसर्स राजकुमार साह एण्ड सन्स" के मात्र दो साझीदारान थे। वादी सं02 रविन्द्र कुमार साह व स्व0 राजकुमार साह और उन्हीं दो साझीदारान ने एक प्राइवेट ट्रस्ट अजनाम "सिन्नी फाउण्डेशन" बनाया और जिसका संशोधन विधिनुसार दिनांक 30.12.2009 को हुआ। उपरोक्त राजकुमार साह एण्ड सन्स ने डीड आफ एसाइनमेन्ट दिनांक 05.11.2000 द्वारा अपने सिन्नी ट्रेडमार्क/मय तद्उल्लिखित इसके बहुत से ट्रेडमार्क, पेटेन्ट एवं डिजाईन पंजीकरण एवं उनमें अपने समस्त हक व हकूक हस्ब तफसील जैल दावा हाजा रू0 11,000.00 में उक्त ट्रस्ट (सिन्नी फाउण्डेशन) को समनुदेशित (assign) कर दिया जिससे कि उक्त ट्रेडमार्क का और अच्छा प्रबन्धन तथा लाभार्थियों को लाभ ठीक प्रकार से प्राप्त हो सके। वादीगण के उक्त पूर्वज स्व0 राजकुमार साह जैसा ऊपर स्थापित किया गया है, सिन्नी ट्रेडमार्क को अंगीकार किया एवं उक्त वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में सन् 1950 से प्रारम्भ किया और समय के अन्तराल से उक्त ट्रेडमार्क के अन्तर्गत और बृहद प्रकार की सम्बन्धित वस्तुयें बनाना प्रारम्भ किया जैसे विद्युत स्टोव, विद्युत लैम्प, विद्युत हीटर, विद्युत टार्च, वायु कूलर, रेफ्रीजरेटर, कम्प्रेशर, कम्प्रेशर यूनिट एवं उनके पुर्जे तथा फिटिंग शामिल किया और समय के साथ ट्रेडमार्क पंजीकरण अन्तर्गत विभिन्न ट्रेडमार्क नम्बर एवं विभिन्न वर्ग के हासिल किया और लगातार प्रयोग करते हुये मूल्यवान व्यापारिक गुडविल इज्जत एवं विशेषता हासिल की जिसे उक्त ट्रस्ट सिन्नी फाउण्डेशन को समनुदेशित कर समनुदेशन विलेख का पंजीकरण कराया और उसके बाद से उक्त ट्रस्ट उसे (Trade Mark) बहैसियत मालिक उपयोग कर रही है। इसके कार्य प्रणाली एवं हित हेतु वादी सं02 लगायत 4 बहैसियत न्यासीगण सिन्नी फाउण्डेशन (वादी

THE DIST. & SESS. JUDGE, VARANASI
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिलिपि विभाग वाराणसी

फाउण्डेशन का कोई मालिकाना हक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी सं01 को जो लाइसेन्स जारी किया गया है जिसकी प्रति कागज सं0 14ग व 15ग है वह सिन्नी फाउण्डेशन के पैड पर चेयरमैन सिन्नी फाउण्डेशन एवं मैनेजिंग ट्रस्टी सिन्नी फाउण्डेशन के हैसियत से जारी किया गया है और इसी हैसियत से ही प्रतिवादी सं01 का लाइसेन्स वापस लिया गया है। अतः प्रतिवादी यह नहीं कह सकता है कि सिन्नी फाउण्डेशन असल मालिक नहीं है। सिन्नी फाउण्डेशन रविन्द्र साह एण्ड सन्स के समानुदेशीय है जिसके सम्बन्ध में एसाइनमेन्ट डीड पत्रावली 13ग दाखिल है। प्रतिवादी द्वारा सूची 77ग से 78ग लासेन्स की प्रति दाखिल की गयी है जो दिनांक 24 मार्च 2015 को जारी किया गया है। यह लाइसेन्स चन्द्र कुमार साह ने स्वयं को मैनेजिंग ट्रस्टी सिन्नी फाउण्डेशन दर्शित करते हुये जारी किया है। प्रतिवादी का यह कहना है कि उपरोक्त लाइसेन्स उसे आजीवन सिन्नी ट्रेडमार्क के उपयोग का अधिकार दिया गया है जब कि संशोधित सिन्नी फाउण्डेशन ट्रस्टडीड 30.12.2009 के अनुसार चन्द्र कुमार साह को आजीवन मैनेजिंग ट्रस्टी के पद से हटा दिया गया और उन्हें ट्रस्ट से निष्कासित कर दिया गया। उपरोक्त पंजीकृत ट्रस्ट विलेख 12ग पत्रावली पर दाखिल है जो अभी निरस्त नहीं हुआ है जिसके सम्बन्ध में वाद उपरोक्त रूप में सक्षम अधिकारिता के न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक कि कोई पंजीकृत विलेख निरस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक उसका प्रभाव यथावत बना रहेगा और विधि की दृष्टि में वह वैध अभिलेख होगा। ऐसे में 24 मार्च 2015 को चन्द्र कुमार साह द्वारा जारी किया गया पत्र व लाइसेन्स अवैध हो जाता है क्योंकि उस तिथि में चन्द्र कुमार साह सिन्नी फाउण्डेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी नहीं थे।

18. इसके अलावा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिल्ली व उत्तराखंण्ड के विभिन्न न्यायालयों तथा माननीय उच्च नयालय इलाहाबाद तक में अनेकों वाद विवाद हुये परन्तु किसी भी न्यायालय से प्रतिवादी को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ। विभिन्न न्यायालयों में चले विवाद में पारित आदेशों की सत्य प्रतियाँ पत्रावली पर दाखिल किया गया है जिसका उल्लेख प्रश्नगत आदेश में ऊपर किया गया है। विस्तृत विवेचना की कोई आवयकता नहीं है। अतः वादी अंशतः प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रहा है कि सिन्नी ट्रेडमार्क, सिन्नी फाउण्डेशन एवं उसके समानुदेशी राजकुमार साह एण्ड सन्स के नाम पर ट्रेडमार्क एक्ट के तहत दर्ज है जिसका उपयोग एवं उपभोग हेतु लाइसेन्स जारी करने का अधिकार सिन्नी फाउण्डेशन को प्राप्त है तथा उसे निरस्त करने का भी अधिकार उसे प्राप्त है। प्रतिवादी को ऐसा कोई भी अधिकार हासिल नहीं है कि वह अनुज्ञप्ति निरस्त होने के उपरान्त सिन्नी ट्रेडमार्क का उपयोग किसी भी प्रकार से अपने व्यापारिक हित के लिए करें। अतः वादी का प्रथम दृष्टया केस स्थापित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गयी है:-

2. सीमेन्स अक्टीन्जसजा बनाम सीमन्स साल्यूशन 2014 (0) सुप्रीमकोर्ट (Dell) 2390

3. श्याम टेलीलिंग लिमिटेड बनाम यूनियन आफ इण्डिया 2010 (0) ए.आई.आर. (S.C.W.) 6338

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ पर ट्रेडमार्क एक्ट के तहत संबंधित पक्ष को कोई ट्रेडमार्क पंजीकृत किया गया है और उस पंजीकृत ट्रेडमार्क का कोई व्यक्ति अतिलंघन कर रहा है तो उस दशा में उसके विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। प्रश्नगत मामले में प्रतिवादी सं01 डायनेस्टी इण्डिया द्वारा लाइसेन्स का उलंघन करते हुये सिन्नी ट्रेडमार्क का अपने व्यापारिक हित में तथा अपने वेबसाइड पर गलत रूप से निरूपित करते हुये उपयोग किया जा रहा है जिससे वादी कम्पनी को काफी क्षति हो रही है और उसकी ख्याति व गुडविल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वादी द्वारा प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुल तथा अपूर्णनीय क्षति प्रमाणित किया गया है। अतः आवेदन पत्र 6ग स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदन पत्र 6ग स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिए अस्थाई व्यादेश दौरान विचारण मुकदमा मना किया जाता है कि वे सिन्नी ट्रेडमार्क का प्रयोग किसी भी प्रकार से व्यापार या वाणिज्य अथवा किसी भी रूप में न करें। पत्रावली [illegible] 20/02/17 [illegible]

[illegible] 03/02/17

अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं014, वाराणसी

Checked by [illegible]